राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

आश्विन 16, गुरुवार, शाके 1937–अक्टूबर 8, 2015
Asvina 16, Thursday, Saka 1937-October 8, 2015

सत्यमेव जयते

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2015

संख्या प. 2 (42) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 30)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 21 जुलाई, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 21 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 21 में,-

(i) खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्यमान शब्द "और" को हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (ङ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(च) उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो; और

(छ) उस परिसर, जिसमें वह निवास करता है, में कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"।

3. **निरसन और व्यावृत्तियां.**- (1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 8, 2015

No. F. 2 (42) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Nagarpalika (Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 30):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 30 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 21st July, 2015.

2. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 21 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009),-

(i) in clause (d), the existing word "and", appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (e), for the existing punctuation mark " . ", appearing at the end, the punctuation mark " ; " shall be substituted;

(iii) after the clause (e), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

"(f) he has passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board; and

(g) he has functional sanitary toilet in the premises where he resides and no member of his family defecates in the open.

Explanation.- For the purpose of clause (g) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "member of family" means spouse of such person, children and his parents living with such person.".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 7 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press Jaipur.